न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **43 / 2025** दायर दिनाँक **29.01.2025**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मुकेश पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी भवाद तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना –कुचामन राज.।	बनाम्	1. आसुराम पुत्र रामदीन, 2. मनीषा पुत्री नरसाराम, 3. सरिता पुत्री नरसाराम, 4. प्रवीण बलारा पुत्र नरसाराम, 5. सन्तोष पत्नी नरसाराम, (प्रतिवादी संख्या 3 सरिता व प्रतिवादी संख्या 4 प्रवीण बलारा नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सन्तोष प्रतिवादी संख्या 5) 6. बाउड़ी पुत्री रामदीन, 7. गुटी देवी पुत्री रामदीन, 8. चुंका देवी पुत्री रामदीन, 9. राजेन्द्र पुत्री चौथी देवी, 10. सुरेश पुत्री चौथीदेवी, समस्त जाति जाट निवासीगण भवाद तहसील छोटी खादु जिला डीडवाना –कुचामन राज., 11. तहसीलदार छोटी खाटु।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53,88,188 R.T.Act., 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री युनुस सलीम वकील प्रतिवादीगण 1, 3, 4, 5 ।

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक **06.08.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि राजस्व ग्राम भवाद, पटवार हल्का खरवालिया, भू.अ.नि. क्षैत्र तोषीणा तहसील छोटी खाटु के खेत खसरा संख्या 365 रकबा 0.0600 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा, खसरा संख्या 146 रकबा 1.0500 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 156 रकबा 1.4600 हैक्टेयर बारानी 1 तथा खसरा संख्या 379 रकबा 1. 8600 हैक्टेयर बारानी 1 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के [illegible] करने बाबत् दिनाँक **30.06.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाने [illegible] तहसीलदार [illegible] छोटी [illegible] को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने क्रमांक [illegible] / 2025 / 12[illegible] दिनाँक 23.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:12:19 IST
Reason: SelfAttested

बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटी खाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1256 दिनाँक 23.07.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

राजस्व ग्राम भवाद, पटवार हल्का खरवालिया, भू.अ.नि. क्षेत्र तोषीणा तहसील छोटी खाटु के खेत खसरा संख्या 365 रकबा 0.0600 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा, खसरा संख्या 146 रकबा 1.0500 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 156 रकबा 1.4600 हैक्टेयर बारानी 1 तथा खसरा संख्या 379 रकबा 1.8600 हैक्टेयर बारानी 1 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1256 दिनाँक 23.07.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1256 दिनाँक 23.07.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(वि[illegible], R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 06.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(वि[illegible], R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:12:19 IST
Reason: SelfAttested